

कयर बोर्ड

(सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of MS&ME, Govt. of India)

क्यर हाउस, एम जी गड़, काच्यी - 682016 Coir House, M.G. Road, Kochi - 682016 HR Gram COIR BOARD

दाभाष / Ph : 0484-2351954, 2351807, 2351788

फेक्स / Fax : 0484-2370034, 2354397 इ-मल/ E-mail coir@md2.vsnl.net.in

Tel: Web www.coirboard.nic.in. www.coirboard.gov.in

ए-21021/1/2016-प्रशा(स्थापना)

18.07.2017

परिपत्र

विषयः उप कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के छुट्टी अभिलेख अध्यतन करना - सं.

जैसा कि आपको विदित है, कुछ उप कार्यालयों के कर्मचारियों के छुट्टी अभिलेखों का अनुरक्षण उसी कार्यालय द्वारा किया जाता है । ऐसे कुछ मामलों में, यह ध्यान में आया है कि, छुट्टी अभिलेखों का उचित रूप से अनुरक्षण नहीं किया जाता है । प्रायः कर्मचारी छुट्टी पर जाते हैं, जो वास्तविक रूप से वे हकदार नहीं है । अर्थात्, कई बार कर्मचारी 200 से अधिक दिनों पर छुट्टी लेते हैं / अनिधिकृत छुट्टी (अनिधिकृत छुट्टी) पर जाते हैं । संबंधित कर्मचारियों की इतनी गंभीर गलतियों के बारे में पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा मुख्यालय को रिपोर्ट नहीं की जाती थी । इसलिए, जब मुख्यालय को छुट्टी अभिलेखों को अग्रेषित करते वक्त, जल्द ही सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में, छुट्टी अभिलेखों की जाँच करने पर ही, ऐसी गंभीर गलतियों के बारे में पता चलता है । इससे, प्रशासन अनुभाग को सेवांत हितलाभों का उचित संगणना करने और समय पर रिहाई करने में कठिनाई होती है । इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों की ऐसी अनुशासनहीन चेष्टाओं की उचित सूचना मुख्यालय को प्राप्त नहीं होने से संबंधित कर्मचारियों को किसी भी समस्याओं के बिना ऐसी अनुपस्थितियों का आनंद लेने का मौका मिलता था । बाद में सेवानिवृत्ति के अंतांत में, जांच पर ऐसी अनुपस्थितियों के बारे में ध्यान दिलाया जाता है तो अनिधिकृत छुट्टियों को नियमित करने के लिए ऐसे कर्मचारियों के वेतन से उचित रूप से, सम्पन्न कार्य के रूप में स्वतः समायोजित करना पडता है।

उपर्युक्त का ध्यान रखते हुए, उप कार्यालयों के सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन कर्मचारियों की छुट्टी अभिलेखों का अनुरक्षण, ऐसे मामलों में, सेवा-निवृत्ति के अंतांत तक न रखकर, उचित रूप से किया जाता है । किसी भी कर्मचारियों की अनधिकृत छुट्टि के मामले में, अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उचित सिफारिश सहित मुख्यालय को तत्काल रिपोर्ट करना है । आगे, सभी प्रभारी अधिकारियों से अनुरोध है कि उनके अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों के छुट्टी अभिलेखों का अनुपालन रिपोर्ट, प्राथमिकता के आधार पर, दि. 13 अगस्त,2017 से पहले दें ताकि छुट्टी अभिलेख अध्यतन कर सके ।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सेवा में

- 1. मुख्यालय के सभी अनुभाग/शाखाधिकारी
- 2. सभी उप कार्यालय और शोरूम व बिक्री केन्द्र

प्रतिलिपिः

- 1. निदेशक (वि)
- 2. निदेशक, आरडीटीई,सीसीआरआई, कलवूर
- 3. संयुक्त निदेशक(यो)
- वरिष्ठ लेखाधिकारी
- ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड



कयर बोर्ड Coir Board

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of MS&ME, Govt. of India) क्ष्या शाउम, एम जी सेंड., कोच्सी - 682016 Coir House, M.G. Road, Kochi - 682016 तम / Gram. COIR BOARD

द्वाभाग Ph 0484-2351954, 2351807, 2351788

केसा / Fax : 0484-2370034, 2354397 ई-मल/ E-mail : coir@md2 vsnl.net.in

वर्ग / Web | www.coirboard.nic.in, www.coirboard.gov.ir

A-21021/1/2016-ADM(ESTABLISHMENT)

18.07.2017

CIRCULAR

Sub: Updation of leave records of employees working in Sub Offices - reg.

As you are aware, the leave records in respect of the employees in some of the Sub Offices are maintained by the same Sub Offices themselves. In some such cases, it has come to notice that, the leave records are not maintained properly. Often, the employees proceed on leave which are not actually entitled. In other words, there were instances where employees were availing / going on unentitled leave (Unauthorised absence) for periods exceeding 200 days. Such serious lapses on the part of the employees concerned were not promptly reported to Head Office by the supervising Officers also. Therefore, when the leave records are being forwarded to Head Office, in the case of those employees due to retire within a short span of time, on scrutiny of the leave records only, such serious lapses are coming to limelight. This puts the Administration Division in embarrassing situations in making proper computation of the terminal benefits and releasing the same promptly. Further, for want of proper intimation of such in disciplined gestures on the part of some of the employees, to Head Office, the employees concerned had a chance to enjoy such absences without any problems. Subsequently, at the fag end of retirement, when such absences are brought to notice, on scrutiny, the salary drawn by such of the employees may have to be adjusted properly after regularising the unauthorised absences automatically, as 'fait accompli', which entails the employee concerned un entitled benefits of leave.

In view of the above, all the Officers in charge of Sub Offices are requested to kindly ensure that the leave records in respect of the employees working under them are maintained properly, without waiting for the fag-end of retirement in each cases. In the event of unauthorised absence of any of the employees, the matter may be reported to Head Office, immediately, with due recommendation for disciplinary actions. Further, all the Officers in charges are also requested to report compliance to the requirement of updation of leave records in respect of all the employees under them, on priority, in any case, not later than 13th August, 2017.

This issues with the approval of Competent Authority.

ADMINISTRATIVE OFFICER

To

1. All Sections/ Branch Officers in Head Office

2. All Sub Offices and Showrooms & Sales Depots

Copy to: 1. Director (Mktg)

2. Director, RDTE, CCRI, Kalavoor

3. Joint Director (Plg.)

4. Senior Accounts Officer

5. E-Office Notice Board